लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462023

क./अकादमिक/ह.शि./2025/2480 भोपाल, दिनांक 31/12/2025

प्रति,

1. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र.।
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड म.प्र.।
3. संकुल प्राचार्य, शास.उमावि.,समस्त जिले म.प्र.।

विषयः–"हमारे शिक्षक" एप के माध्यम से लोकसेवकों के अवकाश आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराने विषयक।

संदर्भः–1. संचालनालय का पत्र कं0/अकादमिक/हा.शि./2025/1074 दिनांक 20.06.2025 एवं दिनांक 22.08.2025

2. संचालनालय का पत्र कमांक/एमआईएस/एजूकेशन पोर्टल 3.0/2025/111 भोपाल, दिनांक 26.12.2025

–00–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करे। शिक्षकों की सुविधा हेतु "हमारे शिक्षक" ई–गर्वनेंस प्लेटफार्म विकसित किया गया है। "हमारे शिक्षक" प्लेटफार्म पर सभी शिक्षकों एवं लोक सेवकों का सेवा रिकार्ड संधारित किया जा रहा है। "हमारे शिक्षक" प्रणाली के माध्यम से लोक सेवकों के स्वत्वों से संबंधित आवेदन एवं अन्य समस्याओं को प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही "हमारे शिक्षक" एप के माध्यम से प्रतिदिन ई–अटेन्डेंस दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

2/ उपरोक्त अनुक्रम में संदर्भित पत्र कमांक 2 द्वारा एजूकेशन पोर्टल 3.0 पर लोकसेवकों के अद्यतन अवकाश लेखा की प्रविष्टि की कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारियों को आवश्यक निर्देश एवं प्रशिक्षण दिया जाकर दिनांक 03.01.2026 तक उक्त कार्य पूर्ण किए जाने की समय–सीमा निर्धारित की गई है।

3/ इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त लोकसेवकों (द्वितीय श्रेणी तक के अकादमिक, लिपिकीय, प्रशासनिक अमले) को उपरोक्तानुसार प्रदान की गई सुविधा के संबंध में अवगत कराए कि वे दिनांक 01.01.2026 से अपने अवकाश आवेदन "हमारे शिक्षक एप" के माध्यम से ही सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करें। अवकाश आवेदन की प्रकिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऑफलाईन आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। सभी प्रकार के अवकाश यथा CL, OL, EL, HPL, CCL इत्यादि "हमारे शिक्षक" एप के माध्यम से ही सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

4/ समस्त शिक्षक संवर्गों के लिए अन्य लोक सेवकों की भांति आकस्मिक अवकाश (CL) का केलेण्डर प्रतिवर्ष 01 जनवरी से प्रारंभ माना जायेगा तथा सभी लोकसेवकों की उपस्थिति ई–अटेन्डेंस के आधार पर ही मान्य होगी।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

31/12/25

(के.के.द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ.क./अकादमिक/ह.शि./2025/2481 भोपाल, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. कलेक्टर, समस्त जिले, मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग।
6. जिला कोषालय अधिकारी, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
7. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले, मध्यप्रदेश।
8. समस्त लोकसेवक ....।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

30/12/25

संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462023

क्र./अकादमिक/ह.शि./2025/2478 भोपाल, दिनांक 31/12/2025

प्रति

1. जिला शिक्षा अधिकारी,
   समस्त जिले।
2. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,
   समस्त विकास खण्ड।
3. संकुल प्राचार्य, शास० उमावि,
   समस्त जिले

विषय—दृष्टिबाधित दिव्यांग शिक्षकों के लिए "हमारे शिक्षक" एप द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया का सरलीकरण।

संदर्भ:—संचालनालय का पत्र क्र0/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 दिनांक 20.06.2025 एवं दिनांक 22.08.2025

——00——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करे। शिक्षकों की सुविधा हेतु "हमारे शिक्षक" ई—गर्वनेंस प्लेटफार्म विकसित किया जा कर "हमारे शिक्षक" एप के माध्यम से प्रतिदिन ई—अटेन्डेंस दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इस संबंध में दृष्टिबाधित दिव्यांग शिक्षकों को "हमारे शिक्षक" एप पर उपस्थिति दर्ज करने में आ रही समस्याओं के समाधान के दृष्टिगत प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाकर निम्नानुसार नियत की जाती है:—

1. एजूकेशन पोर्टल पर शिक्षकों की ई—सेवा पुस्तिका में दर्ज जानकारी के अनुसार जो शिक्षक दृष्टिबाधित दिव्यांग है उनकी सूची विद्यालय के लॉगइन पर प्रदर्शित होगी।
2. विद्यालय के लॉगिन पर संस्था प्रमुख द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक शतप्रतिशत दृष्टिबाधित दिव्यांग है एवं "हमारे शिक्षक" एप पर उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ है।
3. संस्था प्रमुख द्वारा उनके विद्यालय में कार्यरत दृष्टिबाधित दिव्यांग लोक सेवक की दैनिक उपस्थिति संस्था लॉगिन से प्रतिदिन दर्ज की जाएगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही संस्था प्रमुख द्वारा दिनांक 03.01.2026 तक अनिवार्यतः पूर्ण की जाएगी। संबंधित दृष्टिबाधित दिव्यांग लोक सेवक की दैनिक उपस्थिति दिनांक 05.01.2026 से आगामी आदेश तक निरंतर संस्था प्रमुख द्वारा संस्था लॉगिन से दर्ज की जाएगी।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

30/12

(के.के द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ.क्र. / अकादमिक / ह.शि. / 2025 / 2479

भोपाल, दिनांक 31/ 12 / 2025

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. कलेक्टर, समस्त जिले, मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग।
6. जिला कोषालय अधिकारी, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
7. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संबंधित लोकसेवक ....।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

30/12

संचालक
लोक शिक्षण म.प्र